



भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद
अंसारी नगर, दिल्ली-110029

सं.6-2(9)/2024-स्था.

दिनांक: 24 दिसंबर 2025

अधिसूचना

विषय- सहायक के पद के लिए 08.12.2024 (रविवार) को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के माध्यम से आयोजित की गई सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा का संशोधित अंतिम परिणाम- के संबंध में।

संदर्भ: (1) इस कार्यालय के दिनांक 01.10.2024 के परिपत्र सं. 6-2 (16)/2024-स्था।

(2) इस कार्यालय के दिनांक 04.02.2025 के परिपत्र सं. 6-2 (9)/2024-स्था।

(3) इस कार्यालय के दिनांक 24.02.2025 के परिपत्र सं. 6-2 (9)/2024-स्था।

संदर्भ में बताए गए पत्राचार पर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

2. दिनांक 04.12.2025 के ओए सं. 849/2025 के संबंध में माननीय केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT), प्रधान पीठ, नई दिल्ली द्वारा पारित निदेशों का अनुपालन करते हुए, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), नई दिल्ली द्वारा सहायक (पे मैट्रिक्स का स्तर-6; ₹35,400-1,12,400) के पद के लिए 08 दिसम्बर, 2024 (रविवार) को आयोजित की गई सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा (एलडीसीई) में चयनित अभ्यर्थियों का अंतिम परिणाम पुनः तैयार किया गया है तथा संशोधित अंतिम परिणाम इसके साथ संलग्न है (अनुलग्नक-।।)

3. अनुलग्नक-II में बताए गए उम्मीदवारों को परिषद के सहायक पद से संबंधित दिनांक 13.08.2024 के भर्ती नियम में 'फेलिंग विह्व बाय एलडीसीई' प्रावधान का उपयोग करते हुए एलडीसीई कोटे के अंतर्गत दिनांक 01.10.2024 की एलडीसीई-2024 की अधिसूचना से पूर्व

रिपोर्ट की गई वर्ष 2024 की डीपीसी कोटे की रिक्तियों को सम्मिलित करने के पश्चात समायोजित किया गया है।

4. परिषद के संबंधित संस्थानों/केंद्रों के निदेशक/निदेशक प्रभारियों को निदेश दिया जाता है कि वे अपने-अपने संस्थान/केंद्र के संबंधित अभ्यर्थियों के पदोन्नति आदेश परिषद को सूचित करते हुए जारी करें, जैसा कि अनुलग्नक-II में उल्लिखित है।
5. परिषद मुख्यालय के अभ्यर्थियों के संबंध में, पदोन्नति आदेश अलग से जारी किए जाएंगे।
6. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है।

रीमा शर्मा
सहायक महानिदेशक (प्रशा.)

संलग्नक: यथोक्त

प्रतिलिपि:-

1. परिषद के महानिदेशक/अपर महानिदेशक(एस.पी.)/अपर महानिदेशक(ए.एस.)/वरिष्ठ उप महानिदेशक (प्रशा.)/वरिष्ठ वित्त सलाहकार के निजी सचिव।
2. उपमहानिदेशक(प्रशा.)/सहायक महानिदेशक(प्रशा.)/सहायक महानिदेशक(वित्त)।
3. परिषद के संस्थानों/केंद्रों के संबंधित निदेशक/निदेशक-प्रभारी- को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु और यह भी अनुरोध है कि पदोन्नत व्यक्ति के कार्यभार ग्रहण करने/अस्वीकार करने की रिपोर्ट, जैसा भी मामला हो, admin1.hq@icmr.gov.in और ao.rpcell@icmr.gov.in पर भेजें।
4. नोडल अधिकारी, ई-गवर्नेंस सेल- परिषद मुख्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करवाने के अनुरोध के साथ।